समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः बी0–106–103(0001)/2017– 91/आ0 दिनांकः 11.03.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–00–103– निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण–0001– विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत मुंगेर जिला को ₹ 25,94,450.00 (पच्चीस लाख चौरानवे हजार चार सौ पचास) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है :–

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0001.13.01 कार्यालय व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्व में आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्त्तमान में आवंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्त्तमान आवंटन को मिलाकर कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	15000.00	25884.00	40884.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर	15000.00	15000.00	30000.00
3	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर मुगेंर	15000.00	15000.00	30000.00
4	प्र0 वि0 पदा0, असरगंज	185968.00	10000.00	195968.00
5	प्र0 वि0 पदा0, तारापुर	247128.00	10000.00	257128.00
6	प्र0 वि0 पदा0, टेटियाबम्बर	182224.00	10000.00	192224.00
7	प्र0 वि0 पदा0, ह0 खड़गपुर	527928.00	15000.00	542928.00
8	प्र0 वि0 पदा0, संग्रामपुर	219664.00	10000.00	229664.00
9	प्र0 वि0 पदा0, सदर मुंगेर	831192.00	15000.00	846192.00
10	प्र0 वि0 पदा0, बरियारपुर	262104.00	15000.00	277104.00
11	प्र0 वि0 पदा0, धरहरा	303288.00	10000.00	313288.00
12	प्र0 वि0 पदा0, जमालपुर	490488.00	15000.00	505488.00
13	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	4272167.00	24,28,566.00	6700733.00
	योगः–	**75,67,151.00**	**25,94,450.00**	**1,01,61,601.00**

2. उपावंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–00–103– निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण–0001–विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– 06–2015001030001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक– 312/वि0 दिनांक 27.02.2017, पत्रांक– 428/वि0 दिनांक 31.03.2017 एवं पत्रांक–3002/वि0 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में उपावंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6.(i) यह राशि संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दायित्वों के नियमानुसार भुगतान हेतु आवंटित है। तद्आलोक में भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक –23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2016 दिनांक –27.10.2017 तथा इस कार्यालय के पत्रांक– 886 दिनांक 23.02.2018 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में

किये गये कार्यों का भुगतान इस आवंटित राशि से नहीं किया जाना है। संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी उक्त कार्यों के लिये अलग से अधियाचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) आवंटित राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।

(iv) आवंटित राशि से संबंधित दायित्वों का भुगतान RTGS/NEFT/इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रक्रिया (Electronic fund Transfer Process)/बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से संबंधित को किया जायेगा। आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये ज़ाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा नियमानुसार जाँचकर भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

8. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर तथा वस्तु एवं बिक्री कर (GST) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में निश्चित रूप से जमा करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. उपावंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पांचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

14/3/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 117 /नि0, दिनांक: 14/3/18

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/3/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 117 /नि0, दिनांक: 14/3/18

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,–सह–सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 91/आ0 दिनांक 11.3.2018 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 117 /नि0, दिनांक: 14/3/18

प्रतिलिपि: अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/तारापुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।